मध्यमार्ग पर चलने का फ़ायदा

मुहम्मद अज़हर मदनी

सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की रिवायत में है कि तीन लोग नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के घर आये उन्होंने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में पूछा, आप की इबादत के बारे में उनको जो कुछ बताया गया उन्होंने इसको बहुत कम समझा और कहा कि हम नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की श्रेणी तक कैसे पहुंच सकते हैं। अल्लाह ने तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पिछले और अगले पापों को मआफ कर दिया है फिर उनमें से एक ने कहा ''मैं हमेशा पूरी रात नमाज़ पढ़ंगा'' दूसरे ने कहा ''मैं हमेशा रोज़े रखूंगा तीसरे ने कहा ''मैं औरतों से दूर रहूंगा कभी शादी नहीं करूंगा''

जब नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम घर आये और इन तीनों की बातों के बारे में खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क्या तुम लोगों ने ऐसा कहा? अल्लाह की क़सम मैं तुम में सबसे अधिक अल्लाह से डरने वाला हूं लेकिन मैं रोज़े भी रखता हूं और छोड़ भी देता हूं। रात में नमाज़ भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं और विवाह भी करता हूं तो जो मेरे मार्ग से हटे गा वह हम में से नहीं। (बुखारी ५०६३, मुस्लिम १४०१)

इस्लाम धर्म ने हर इन्सान को मध्यमार्ग का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी है, जिस का फायदा यह है कि इन्सान का जीवन अतिश्योक्ति से पवित्र रहे, कर्म में मध्यमार्ग, खाने पीने में मध्यमार्ग, लोगों से संबन्ध बनाने में मध्यमार्ग, कहने का अर्थ यह है कि इन्सान को जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतना ही स्तेमाल करे उतना ही अपनाये। मिसाल को तौर पर अल्लाह ने जितनी इबादत करने का आदेश दिया उतनी ही इबादत करे, शरीर को आराम देने के लिये इन्सान उतना ही आराम करे जिससे उसके शरीर को आराम मिल जाये, इतना न सोये कि अपनी जिम्मेदारियों से ग़ाफिल हो जाये, इतना न खाये कि उसके शरीर में तकलीफ हो जाये, इतना न खर्च करे कि कंगाल हो जाए इसी लिये इस्लाम ने जीवन के हर मैदान में मध्यमार्ग अपनाने की शिक्षा दी है। पवित्र कुरआन में एक जगह मध्यमार्ग पर चलने वालों की प्रशंसा अल्लाह तआला ने इन शब्दों में की है।

''जो खर्च करते हैं तो न हद से बढ़ जाते हैं, और न तंगी से काम लेते हैं बल्कि दोनों के बीच मध्यमार्ग पर रहते हैं'' (सूरा २५, अल फुरकान, आयत-६७)

बदला लेने में मध्यमार्ग अपनाने और धैर्य से काम लेने की प्रशंसा की गई है।

''यदि तुम बदला लो तो बिल्कुल उतना ही जितना तुम्हें कष्ट पहुँचा हो। परन्तु यदि धैर्य रखो तो निश्चय ही धैर्यवानों के लिये ज्यादा अच्छा है।'' (सूरे अन-नह्ल-१२६)

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हम सभी को मध्यमार्ग (एतदाल) पर चलने की क्षमता दे।

मासिक

इसलाहे समाज

मई 2024 वर्ष 35 अंक 5

जुलक़ादा 1445 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613
RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद ताहिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. मध्यमार्ग पर चलने का फ़ायदा 02
2. निष्ठा, कर्तव्य और संकल्प 04
3. नेकी और आत्मशुद्धि का फल 05
4. ईमान पर जमे रहने की शिक्षा 06
5. कुर्बानी के अहकाम व मसाइल 07
6. खाना खाने के अहकाम व मसाइल 12
7. हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं एवं उपदेश 18
8. शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा 22
9. अपील 27
10. अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन) 28

ईमेल:-
Jaridahtarjuman@gmail.com
Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com
अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है
वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

सम्पादकीय

निष्ठा, कर्तव्य और संकल्प

नौशाद अहमद

निष्ठा एक अच्छे इन्सान की पहचान होने के साथ-साथ उसके अच्छे कर्म का अभिन्न भाग भी है, हर इन्सान की अन्तरात्मा उसको निष्ठा पर उभारती है, अच्छा काम करने के लिये प्रेरित करती है, लेकिन गलत वातावरण और कुसगंत उसे बराई की तरफ ले जाती है। दुनिया का हर धर्म निष्ठा पर जोर देता है और आज का व्यवपारिक एवं समाजी जीवन में भी धर्म से संबन्धित ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उससे जुड़े व्यक्ति के अन्दर निष्ठा होनी चाहिए, यही एक दूसरे पर विश्वास की महत्वपूर्ण कड़ी है। जब यह कड़ी टूटती है तो इन्सान के विश्वास की पूरी बुनियाद धराशायी हो जाती है, उसका जीवन एक सहीह दिशा से गलत दिशा में चला जाता है और वर्षों की मेहनत एक गलत कर्म अर्थात बेईमानी से बर्बाद हो जाती है।

कर्तव्य निभाना और कर्तव्य को समझना भी मानव जीवन के लिये बड़ी अहमियत रखता है, कर्तव्य निभाने का मतलब यह है कि घर, समाज, संगठन में उसको जो कर्तव्य निभाने का हुक्म और निर्देश दिया गया है, उस पर पूरी तरह कारबन्द हो जाये और अपने कर्तव्य से अपने समाज, संगठन परिवार और मालिक व स्वामी को लाभ पहुंचाये। जिस समाज से कर्तव्य निभाने और कर्तव्य समझने की भावना खतम हो जाती है उस समाज का पतन शुरू हो जाता है। इस हक़ीक़त को हम लोग अपने आस पास घटित होने वाली घटनाओं से समझ सकते हैं। इतिहास बताता है कि कितने परिवार, संस्थाएं संगठन कर्तव्य से लापरवाही बरतने की वजह से आकाश से पाताल में चले गये। अर्थात उनका पतन हो गया। यह पतन हमारे लिये सबक है कि हम अपनी कमियों कोताहियों का आकलन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का भरपूर प्रयास करें, क्योंकि केवल पलान बनाने से समाजी जीवन में बदलाव और समृद्धि नहीं आती है इसके लिये निरन्तर मेहनत और जतन की ज़रूरत है।

संकल्प इन्सान के जीवन की दिशा और दशा बदल देता है, सिर्फ पलान बनाने से कोई काम पूरा नहीं होता है, किसी भी पलान को व्यवहारिक रूप देने के लिये संकल्प की ज़रूरत है।

आज किसी भी घर, समाज, संगठन की नाकामी की वजह निष्ठा की कमी, कर्तव्य से दूरी व लापरवाही संकल्प की कमी व अभाव है। आज हमारे दीनी समाजी, शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक संस्थाओं एवं संगठनों के लक्ष्य पूरा न होने की वजह यही है कि पलान तो बनाया जाता है लेकिन उसको पूरा करने के लिये कार्य कर्ताओं में जिस तरह की निष्ठा, कर्तव्य परायणता और संकल्प होना चाहिए, उसका कहीं पूर्ण रूप से तो कहीं आंशिक रूप से अभाव है, हम अपने लक्ष्य को उसी वक़्त पा सकते हैं जब हमारे अन्दर यह तीनों चीज़ें पूर्ण रूप से पैदा हो जायें अर्थात निष्ठा, कर्तव्य और संकल्प।

❑ ❑ ❑

नेकी और आत्म शुद्धि का फल

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है:

''बात यही है कि जो भी गुनेहगार बन कर अल्लाह के यहां हाजिर हो गा उसके लिये नरक है, जहां न मौत हो गी और न ज़िन्दगी। और जो भी ईमानदार हो कर हाजिर होगा और उसने आमाल भी नेक किये होंगे उसके लिये बुलन्द व ऊंचे दर्जे हैं। हमेशगी वाली जन्नतें जिन के नीचे नहरें लहरें ले रही हैं जहां वह हमेशा हमेशा रहेंगे। यही इंआम है हर उस शख्स का जो पाक है'' (सूरे ताहा-७४-७६)

नेक काम करने से बुराइयां खत्म होने के साथ ऊंचे दर्जे भी नसीब होते हैं और यह सब आत्मशुद्धि का बदला है। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''यही इंआम है हर उस शख्स का जो पाक है'' (सूरे ताहा-७६)

वास्तव में मोमिन का दिल पूर्ण रूप से इन्सान और सफल उसी वक़्त होता है जब वह बुरी आदतों और बुराइयों से पाक साफ होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन के पास जाकर उसको आत्मशुद्धि का उपदेश दिया अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन के पास जाकर पहला काम यही करने का हुक्म दिया। ''तुम फिरऔन के पास जाओ उसने सरकशी अपना ली है, उससे कहो कि क्या तू अपनी दुरूस्तगी और सुधार चाहता है और यह कि मैं तुझे तेरे रब की राह दिखाऊं ताकि तू उससे डरने लगे।'' (सूरे नाज़िआतः १७-१६)

खुद नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का वजीफा यही बताया गया है बल्कि बाज अवसर पर सख्त निर्देश दिया गया है कि आत्मशुद्धि (तज़किया) का काम सब पर ज़रूरी है। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः वह तुर्शरू हुआ और मुंह मोड़ लिया सिर्फ इसलिये कि उसके पास एक अंधा आया। तुझे क्या ख़बर शायद वह संवर जाता। (सूरे अबस, १-३)

आत्मशुद्धि और परहेज़गारी को सफलता और असफलता की कसौटी क़रार क़रार दिया गया है। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''बेशक सफलता पा ली जो पवित्र हो गया'' (सूरे आलाः१४) ज़कात को जहन्नम के अज़ाब से बचने का माध्यम बताया गया है।

''और इस (नरक) से ऐसे शख्स को दूर रखा जाये गा जो बड़ा परहेज़गार हो गया जो पाकी हासिल करने के लिये अपना माल देता है'' (सूरे लैल १७-१८)

वास्तव में जो आत्मशुद्धि करता है, वह दीन ईमान और अल्लाह व रसूल पर एहसान नहीं बल्कि अपने लिये ही करता है इसका दुनियावी फायदा और इसके बदले में आखिरत में सफलता और ऊंचे दर्जे उसी को हासिल होंगे। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''और जो भी पाक हो जाये वह अपने ही नफा के लिये पाक हो गा, लौटना अल्लाह ही की तरफ है।''

अल्लाह तआला की इसी ताकीद और वसियत का नतीजा था कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बुलन्द दर्जे पर विराजमान होने के बावजूद अपने रब से तक़्वा और आत्मशुद्धि की दुआ फरमाते थे फिर हमारे अन्दर तक़्वा और तज़किया आत्मशुद्धि के लिये कैसी बैचैनी व तड़प होनी चाहिए।

❑ ❑ ❑

ईमान पर जमे रहने की शिक्षा

अबू हमदान अश्रफ फैज़ी

नाजुक हालात में हमारे ईमाम की आज़माइश होती है, इस आज़माइश में कामयाब वही लोग होते हैं जो दीन और ईमान पर जमे रहते हैं, हालात उन्हें दीन से फेर नहीं सकते, यह सच्चे मुसलमान की पहचान है, दीन व ईमान पर जमे रहना बहुत बड़ी बात है। इसी लिये अल्लाह तआला ने पवित्र कुरआन में दीन पर जमे रहने वालों को दुनिया और आखिरत में खुश्खबरी सुनाई है।

'' निःसन्देह! जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर इसी पर काइम रहे, उनके पास फरिश्ते (यह कहते हुए) आते हैं कि तुम कुछ भी अन्देशा और गम न करो (बल्कि) उस जन्नत की खुश्खबरी सुन लो जिस का तुम वादा किये गये हो। तुम्हारी दुनियावी जिन्दगी में भी हम तुम्हारे रफीक (मददगार) थे और आख़िरत में भी रहेंगे, जिस चीज़ को भी तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो सब तुम्हारे लिये (जन्नत में मौजूद) है मआफ करने वाले एवं दयावान (अल्लाह) की तरफ से यह सब कुछ मेहमानी के तौर पर है'' (सूरे फुस्सिलत ३०-३२)

अल्लाह तआला ने पवित्र कुरआन में अधिकृत फरमायाः ''बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर इस पर जमे रहे तो इन पर न कोई भय होगा और न गमगीन होंगे। यह तो जन्नत वाले हैं। जो हमेशा इसी में रहेंगे उन कर्मों के बदले जो वह किया करते थे।'' (सूरे अहकाफ़ - १३-१४)

> ''बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर इस पर जमे रहे तो इन पर न कोई भय होगा और न गमगीन होंगे। यह तो जन्नत वाले हैं। जो हमेशा इसी में रहेंगे उन कर्मों के बदले जो वह किया करते थे।'' (सूरे अहकाफ़ - १३-१४)

दीन पर जमे रहने की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुफयान बिन अब्दुल्लाह सक़फी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सेवा में हाज़िर हुए और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी बात बताएं कि फिर आप के बाद किसी से न पूछूं। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम कहो कि अल्लाह पर ईमान लाया फिर इस पर जम जाओ (सहीह मुस्लिम)

हालात कैसे भी हो जायें मगर हमारे कदमों में डगमगाहट न पैदा हो, हमारे पास सबसे बड़ी दौलत ईमान है, हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं मगर ईमान की दौलत सुरक्षित रहे हम किसी भी हाल में ईमान का सौदा नहीं कर सकते। अल्लाह तआला हमें हर हाल में ईमान व तौहीद (एकेश्वरवाद) पर स्थापित रखे और इसी ईमान पर खात्मा फरमाये। आमीन

कुर्बानी के अहकाम व मसाइल

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः निसन्देह हमने तुझे हौजे (कौसर) और बहुत कुछ दिया है, पस तू अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ और कुरबानी कर, निसन्देह तेरा दुश्मन ही बेनाम व निशान है'' (सूरे कौसर १-३)

कुरबानी का मक़सद केवल गोश्त खाना नहीं है, बल्कि कुर्बानी का मक़सद यह है कि कुर्बानी करने वाला यह स्वीकार करे कि हम आज जिस तरह इस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं वह केवल एक नमूना है अगर ज़रूरत पड़ी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कीमती से कीमती चीज़ को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं और नेकी की प्रेरणा और बुराई को रोकनें में हर प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं और देश व समाज और मानवता के विकास एवं उत्थान के लिये हमेशा तत्पर हैं।

हज़रत अली रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि कुर्बानी के चार दिन हैं एक ईदुल अज़हा का दिन (अर्थात १० जिलहिज्जा) और तीन दिन इसके बाद (नैलु अवतार भाग-५ पृष्ठ-१३५)

हज़रत अली, हज़रत जुबैर बिन मुतइम रजियल्लाहो अन्हुम, हज़रत अता, हज़रत हसन बसरी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत सुलैमान बिन मूसा, इमाम अबू दाऊद, अन्य सहाब-ए-किराम, प्रतिष्ठित ताबईन, तबअ् ताबईन, और मुहद्दिसीन का भी यह मसलक है कि १० जिलहिज्जा के बाद तीन दिन और कुर्बानी करना जायज़ और दुरूस्त है। (मुस्लिम भाग-२, पृष्ठ १५२)

जुल हिज्जा के दस दिन का अर्थः- जुलहिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है और हुर्मत वाले चार महीनों में से एक, जुलहिज्जा महीने के दस्वें दिन ईदुल अजहा का पहला दिन होता है इन दस दिनों का बयान कुरआन में विशेष तौर से हुआ है (सूरे हज)

इन दस दिनों की अहमियत इस से भी स्पष्ट होती है कि अल्लाह ने इन दिनों की सौगन्ध (क़सम) खाई है। (सूरे फज्र)

इन दस दिनों के आमाल का मुकाबला इन्हीं जैसे आमाल से होगा, मतलब यह है कि इन दिनों की नफली इबादत दूसरे दिनों की नफली इबादत से अफजल है। इन दिनों की फर्ज इबादत दूसरे दिनों की फर्ज इबादत से अफज़ल है। यह मतलब भी नहीं है कि इन दिनों की नफली इबादत आम दिनों की फर्ज इबादत से भी अफज़ल है। (पांच अहम दीनी मसायल)

जुल हिज्जा के दस दिनों में से एक दिन ६ जुलहिज्जा ऐसा है कि अल्लाह तआला ने इस में दीने इस्लाम के मुकम्मल होने की

खुशखबरी सुनाई थी। (सहीह़ बुखारी)

६ जुल हिज्जा के दिन अल्लाह तआला साल के बाकी दिनों के मुकाबले में ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी देता है (सहीह़ मुस्लिम)

जुलहिज्जा का दस्वां दिन सब दिनों का सरदार और सब दिनों से अफजल है। (अबू दाऊद)

इन फजीलतों का कारण यह है कि इन दिनों में तमाम बुनियादी इबादतें जमा होती हैं। यानी नमाज, रोज़ा, हज सदका इन दिनों के अलावा और किसी दिन यह इबादतें जमा नहीं होतीं। (फतहुलबारी)

इन दिनों में लगन से इबादत करनी चाहिये। (सुनन दारमी)

खास तौर से अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तमाम तारीफ अल्लाह के लिये है का विर्द ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये। (मुस्नद अहमद)

कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इन दिनों में तकबीरात कहते थे यहां तक कि बाज़ार में भी इन का विर्द करते और इनकी तकबीरात को सुन कर दूसरे लोग भी तकबीरात शुरू कर देते थे। (सहीह बुखारी)

६ जुलहिजा का रोज़ा रखने से पिछले एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। (सहीह मुस्लिम)

हज करने वाले के लिये मुस्तहब है कि ६ जुलहिज्जा के दिन रोजा न रखे। (तोहफतुल अहवज़ी)

जो आदमी कुर्बानी करना चाहता है वह इन दस दिनों में कुर्बानी करने तक अपने जिस्म के बाल और नाखुन आदि नहीं काट सकता। (सहीह़ मुस्लिम)

कुर्बानी का शाब्दिक अर्थः- कुर्बानी अर्बी जुबान के शब्द कुर्बान की बदली हुई शक्ल है और शाब्दिक पहलू से इस का अर्थ हर वह चीज है जिससे अल्लाह का तकर्रुब (निकटता) हासिल किया जाये, चाहे जबीहा हो या कुछ और। (अलमोजमुलवसीत)

कुछ ओलमा के नजदीक कुर्बानी का शब्द कुर्ब से बना है चूंकि इसके माध्यम से अल्लाह की नजदीकी हासिल की जाती है इस लिये इसे कुर्बानी कहा जाता है।

परिभाषिक अर्थः- कुर्बानी का अर्थ ऊंट भेड़ और बकरियों में से कोई जानवर ईदुल अज़्हा के दिन और तश्रीक के दिनों ११,१२,१३ जुलहिज्जा में अल्लाह तआला का कुर्ब (निकटता) हासिल करने के लिये जबह करना है।

कुर्बानी का हुक्मः- जुम्हूर के नजदीक कुर्बानी सुननते मुअक्कदा है। लेकिन अल्लामा शौकानी र-ह-म-हुल्लाह ने अपनी किताब अस्सैलुल जर्रार में दलायल (तर्क) लिखने के बाद लिखा है कि कुर्बानी वाजिब साबित होती है लेकिन यह वुजूब ताकत रखने वालों के लिये है जिसके पास माली ताकत नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। (मिर्आतुलमफातीह)

कुर्बानी के शरायतः-१. खालिस अल्लाह की रिज़ा के लिये हो। (सूरे बय्यना, सूरे माइदह)

२. पाकीज़ा माल से हो हराम माल से न हो। (सहीह मुस्लिम) ३. सुन्नत के अनुसार हो। अगर कोई ईद की नमाज़ से पहले कुर्बानी करे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि उसने सुन्नत की मुखालिफत की है। (सहीह बुखारी) ४. कुर्बानी का जानवर उन खामियों और कमियों से पाक

हो जिन की बुनियाद पर शरीअत ने कुर्बानी करने से रोका है। दो दांता होना जरूरी है, अगर ऐसा जानवर मिलना मुश्किल हो या कोई दूसरी मजबूरी हो तो भेड़ का खेरा एक साल का कुर्बानी करना सहीह है। (मुस्लिम)

किन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं

१. वाजेह तौर से काना हो। २. ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो। ३. ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर हो। ४. ऐसा कमज़ोर जानवर जिसमें चर्बी न हो। ५. कान में सूराख हो। (अबू दाऊद)

मसायलः-

❑ खसी जानवर की कुर्बानी जायज है। (सहीह इब्ने माजा)

❑ हामिला (जिसके पेट में बच्चा हो) जानवर की कुर्बानी भी जायज है। (सहीह अबू दाऊद)

❑ हामिला जानवर का जबह करना ही पेट के बच्चे के लिये काफी है दिल चाहे तो उसे भी खाया जा सकता है,जबह करने की जरूरत नहीं।(सहीह अबू दाऊद)

❑ कुर्बानी के जानवर को खिला पिला कर मोटा ताजा करना चाहिये। (सह़ीह़ बुखारी)

❑ ईद के पहले दिन कुर्बानी करना अफज़ल है क्योंकि यह दिन सब दिनों से अफजल है। (सहीह अबू दाऊद)

❑ कुर्बानी के चार दिन हैं, १३ जुल हिज्जह को सूरज डूब जाने तक कुर्बानी की जा सकती है। (सहीह अल जामिउस्सगीर)

❑ कुर्बानी के चार दिनों की रातों में भी कुर्बानी की जा सकती है।

❑ कुर्बानी करने का वक़्त ईदुलअज़्हा की नमाज पढ़ने के बाद शुरू होता है। (बुखारी)

❑ कुर्बानी के जानवर पर सवार होना जायज है। (बुखारी)

❑ जिस जानवर को कुर्बानी की निय्यत से खरीद लिया जाये उसे बेचना अवैध है (अस्सैलुल जर्रार अल्लामा शौकानी)

❑ जानवर कुर्बानी करने के बजाये उसकी कीमत का सदक़ा करना दुरूस्त नहीं है।(मिर्आतुल मफातीह)

❑ अगर कोई आदमी ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ही जनावर जबह कर दे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी बल्कि उसे ईद की नमाज के बाद एक दूसरा जानवर जबह करना पड़ेगा। (सहीह बुखारी)

❑ ईदगाह में कुर्बानी करना सुन्नत है। (बुखारी)

घर में या किसी दूसरी जगह अगर कुर्बानी कर ली जाये तो दुरूस्त है क्योंकि ईदगाह में कुर्बानी करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम करार नहीं दिया है और न सब लोग ऐसा कर ही सकते हैं।

❑ छुरी खूब तेज होनी चाहिये। (सहीह मुस्लिम)

❑ जानवर को किब्ला की तरफ करके जबह करना मुस्तहब है। (मौकूफ इब्ने उमर)

❑ कुर्बानी वाले जानवर के पहलू पर जबह के वक़्त पांव रखना मसनून है। (बुख़ारी)

❑ बिसमिल्लाह वल्लाहु अक्बर पढ़कर जानवर को नह्र या जबह किया जायेगा (बुख़ारी)

❑ दांत और नाखुन को छोड़कर हर ज़बह कर देने वाली चीज से जानवर जबह किया जा

सकता है। (बुखारी)

❑ मालिक का अपने हाथ से जानवर जबह करना अफ़जल है (बुखारी)

❑ लेकिन दूसरे से भी जबह करवाया जा सकता है। (बुखारी, अबू दाऊद)

❑ औरत भी जानवर जबह कर सकती है।(बुखारी)

❑ अल्लाह के अलावा दूसरे के नाम पर जबह करने वाला लानती है। (सहीह मुस्लिम)

❑ पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर ही किफायत कर जायेगा (सहीह तिर्मिजी)

कुर्बानी करते वक़्त तकबीर के साथ साथ ''अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी अव मिन फुलां'' ऐ अल्लाह मेरी तरफ से या फुलां की तरफ से कुबूल फरमा कहना भी दुरूस्त है। (मुस्लिम)

कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मिस्कीनों पर सदक़ा किया जा सकता है और खुद भी खाया जा सकता है। (सूरे हज)

❑ गोश्त को बराबर तीन हिस्सों में बांटना जरूरी नहीं है क्योंकि शरीअत ने इसकी पाबंदी नहीं लगाई बलकि इसके विपरीत नबी स० ने जी भर खाने की इजाजत दी है। (सहीह तिर्मिज़ी)

❑ लेकिन यह जहन में रहे कि इस हदीस में जहां खाने का बयान है वहां खिलाने का भी जिक्र है। इस लिये इतना ना खाया जाये कि हदीस के अगले हुक्म ''खिलाओ'' पर अमल न हो सके।

❑ अगर कोई गोश्त का कुछ हिस्सा जखीरा (जमा) करना चाहे तो शरई (इस्लामी क़ानून के) एतबार से इसकी इजाजत है। (बुखारी)

❑ गैर मुस्लिम अगर मुस्तहिक (पात्र) है तो उसे भी गोश्त दिया जा सकता है। (अलमुगनी इब्ने कुदामा)

❑ कुर्बानी की खाल का मसरफ (खर्च करने की जगह) वही है जो गोश्त का है। (बुखारी)

❑ कर्जदार आदमी कुर्बानी कर सकता है क्योंकि ऐसी कोई दलील नहीं जो उसे कुर्बानी करने से रोकती हो। (पांच अहम दीनी मसायल)

❑ हज के लिये जो ऊंट खरीदा गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सात अफराद शरीक हो सकते हैं। (मुस्लिम)

कुर्बानी करने वाले अफराद जुलहिज्जा का चांद नजर आने से लेकर कुर्बानी करने तक बाल और नाखुन नहीं काट सकते। (मुस्लिम)

''कुर्बानी एक प्रकार की उपासना है जो अल्लाह के लिये की जाती है। सबसे पहले इसका प्रयोग आदम के दो बेटों ने किया था जिसकी ओर कुरआन संकेत करता है। ''और इन्हें आदम के बेटों का हाल हक़ के साथ सुना दो जबकि दोनों ने कुर्बानी की, तो उनमें से एक की कुर्बानी कुबूल हुई, दूसरे की कुबूल नहीं हुई।'' (सूरे न० ५ अलमाइदा-आयत न० २७)

''इस्लाम धर्म से पहले कुर्बानी के जानवर को आग में जलाने की रीति थी लेकिन इस्लाम ने कुर्बानी के जानवर को आग में जलाने की रीति को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया''।(कुरआन की इन्साइक्लोपीडिया पृष्ठ २१३ लेखक प्रोफेसर डा० मुहम्मद ज़िया उर्रहमान आज़मी)

''खुशी और हर्ष व उल्लास

मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ऐसी जिन्दगी को जो खुशी और हर्ष व उल्लास से खाली हो वह अजीरन है। यही वजह है कि दुनिया के अन्दर जितनी भी क़ौमें और मिल्लतें (समुदाय) पाये जाते हैं सभों के यहाँ रंज व ग़म और दुख व तकलीफ से आज़ाद होकर खुशियाँ मनाने के चन्द विशेष दिन होते हैं जिनके आने पर वह अपनी खुशी का इज़हार करते हैं जिन्हें ईद या त्यौहार या पर्व कहा जाता है। चूंकि इस्लाम इन्सानी फितरत के अनुकूल एक विश्वव्यापी धर्म है इसलिये उसने भी शुरू ही से इन्सानी फितरत (स्वभाव) का ख्याल किया है और अपने मानने वालों को एक साप्ताहिक ईद जुमा की शक्ल में और दो वार्षिक ईद ईदुल फित्र और ईदे कुरबां की शक्ल में दिया है।'' (ईदे कुरबां के अहकाम व मसाइल, एक तहकीकी जायज़ा'')

इस्लाम ने खुशी मनाने का एक सिद्धांत तय किया है। आम तौर पर लोग खुशी के मौके पर इस तय शुदा सिद्धांतों को भूल जाते हैं और उनसे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हें जो लोगों के हानि और दुख पहुंचने का सबब बन जाता है। इस्लाम ने खुशी मनाने का जो उसूल तय किया है उसी के अनुसार खुशी मनानी चाहिए ताकि ईद (खुशी) हमारे लिये संसार के पालनहार की सामीप्ता प्राप्त करने का माध्यम बन सके और यह केवल खुशी ही तक सीमित न होकर अल्लाह की उपासना का भी माध्यम बन जाए हमें इसी पहलू से ईद मनानी चाहिए कि इससे हमारा पालनहार भी खुश हो जाए और हम ईद के माध्यम से लोगों की मदद भी कर सकें। ***(जरीदा तर्जुमान, कुरआन की इन्साइक्लोपीडिया व अन्य किताबों से संकलित)***

मासिक इसलाहे समाज

स्वामित्व का एलान

फार्म न० 4 रूल न० 1

नाम पत्रिका	:	इसलाहे समाज
अवधिकता	:	मासिक
प्रकाशन स्थान	:	अहले हदीस मंजिल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-6
मुद्रक व प्रकाशक	:	मोहम्मद ताहिर
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	बी-94/21 गली नम्बर-9 जोशी कालोनी, मंडावली फज़लपुर, ईस्ट दिल्ली 92
सम्पादक	:	मोहम्मद ताहिर
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	अहले हदीस मंजिल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-6
स्वामित्व	:	मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द 4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-6

मैं मोहम्मद ताहिर, मुद्रक व प्रकाशक तस्दीक करता हूं कि उपर्युक्त बातें मेरे ज्ञान के अनुसार सहीह हैं।

हस्ताक्षर

मुहम्मद ताहिर

खाना खाने के अहकाम व मसाइल

सईदुर्रहमान सनाबिली

कुछ लोग अगर साथ में हों तो उन्हें चाहिए कि एक साथ जमा होकर खाएं इससे खाने में बरकत होती है। वहशी बिन हरब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं। कि एक अवसर पर सहाबा किराम ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल हम खाते हैं लेकिन मन नहीं भरता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''शायद तुम लोग अलग-अलग खाते हो? सहाबा ने कहाः आप सच कह रहे हैं। आपने फरमायाः इकट्ठा होकर खाना खाओ, बिस्मिल्लाह कहकर खाओ, इससे खाने में बरकत आती है। (सुनन इब्ने माजाः २६७४, शैख अल्बानी ने इस हदीस को हसन क़रार दिया है)

सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से कहा कि वह खाते तो हैं लेकिन उनका मन नहीं भरता। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि अलग-अलग होकर खाना मन ना भरने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इससे बरकत खत्म हो जाती है।

जब जमा होकर एक साथ खाएंगे तो ऐसी सूरत में जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बयान की गई इस हदीस पर अमल करना संभव होगा जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

एक इंसान का खाना दो लोगों के लिए काफी होगा और दो लोगों का खाना चार के लिए और चार का खाना आठ के लिए काफी होगा। (सहीह मुस्लिम : २०५९)

आप सहाबा किराम के जीवन के वाक्यात पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि एक ही बर्तन से बड़ी तादाद ने दूध ा पिया जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की हदीस में है कि जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से भूख की शिकायत की तो इस अवसर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सुफ्फा वालों को बुलाने और उन्हें दूध पिलाने को कहा था और सभी को एक ही बर्तन से दूध पिलाया गया था। (सहीह बुखारीः६४५२)

इसी तरह खंदक के अवसर पर जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को खाना खिलाया था और आप खंदक खोद रहे थे तमाम सहाबा को अपने साथ लेकर गए थे। इस घटना से भी यही मालूम होता है कि तमाम सहाबा किराम ने एक ही बर्तन में खाना खाया था और अल्लाह ने इस खाने में बरकत दी जिसकी वजह से सहाबा की बड़ी तादाद ने जी भर खाना खाया। (सहीह बुखारी : ४१०१)

इन हदीसों से मालूम हुआ कि खाने के वक़्त जमा होकर खाना सुन्नत है और इससे बरकत होती है, अलग-अलग खाने से खाने से बरकत खत्म हो जाती है।

नीय्यत ठीक हो तो खाने पर भी सवाब के पात्र बन सकते हैं:

खाना पीना एक जायज़ अमल है और इंसान सिर्फ अपने लिए खाता है और इससे अपना जी

भरता है, लेकिन दूसरे जायज़ कामों की तरह खाने के अमल को भी अच्छी नीय्यत के जरिए इबादत में दाखिल किया जा सकता है। इसकी सूरत यह हो कि आप खाएं तो इस इरादे से खाएं कि आपको खाने से ताक़त मिलेगी और आप अल्लाह की पूरी तरह से इबादत कर सकेंगे। अगर आप इस इरादे से खाते हैं तो आपका खाना भी इबादत की श्रेणी में होगा। क्योंकि नीय्यत की वजह से मुबाह अमल मुस्तहब और मंदूब बन जाता है। मदारिजुस्सालिकीन १/१०७, अल मदखल पृष्ठ २१-२२, शरह मुस्लिम ३/४४

इसलिए हमें अपने सभी मुबाह कामों में बेहतर नीय्यत का आयोजन करना चाहिए इससे आप आदतों को इबादत बन सकते हैं। हम सोएं तो हमारी निय्यत हो कि हम जल्दी सोएंगे तो सुबह उठकर फजर की नमाज़ जमाअत से पढ़ेंगे या तहज्जुद का एहतमाम करेंगे इस तरह आपका सोना भी इबादत होगा।

सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना हराम है

सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना हराम है और इससे एक मुसलमान को बचना चाहिए क्योंकि सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने से रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सख़्ती से रोका है और जो लोग सोने चांदी के बर्तन में खाते पीते हैं उन्हें सख्त चेतावनी दी है। अब्दुल्लाह बिन हकीम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजैफा बिन अल-यमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने पानी मांगा तो एक देहाती चांदी के बर्तन में पानी ले आया। हुजैफा रज़ियल्लाहो अन्हु ने इसे फेंक दिया, लेकिन आपने जो किया लोगों से इसका सबब बयान किया और कहाः मुझे इससे रोका गया है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना हैः

''सोने और चांदी के बर्तन में न पियो और दीबाज नामक रेशम ना पहनो और ना ही हरीर नामक रेशम क्योंकि यह उन मुमिकों और काफिरों के लिए इस दुनिया में है और हमारे लिए आखिरत में है। (सहीह बुखारीः ५४२६, सहीह मुस्लिम २०६७)

इस आदेश में सोने और चांदी के बर्तन में खाने से मना करने का सबब मौजूद है कि सोना चांदी जन्नत में मोमिनों को हासिल होंगे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहो अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी के बर्तन में खाने को संगीन अपराध करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

जो शख्स सोने और चांदी के बर्तन में पीता है वह वास्तव में अपने पेट में नरक की आग जमा कर रहा होता है। (सहीह मुस्लिम : २०६५)

सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने को क्यों हराम करार दिया गया है?

इसका जवाब तलाश करने से पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि अल्लाह तआला ने जिन चीज़ों को हलाल किया है वह हलाल हैं और जिन्हें हराम करार दिया है वह हराम है। अगर हमें इसका सबब व हिकमत मालूम चल जाता है तो अल्हम्दुल्लिाह हमें इस पर ईमान एवं विश्वास रखना चाहिए क्यांकि बहुत से अहकामात के सिलसिले में इस्लामी शरीअत ने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि किसी खास चीज़ को क्यों हराम करार दिया गया है जैसा कि शराब, जुआ, अस्थानों पर जानवरों को

ज़बह करना और फाल निकाल कर तकदीर मालूम करने को अवैध क़रार दिया गया है और इनका सबब भी बताया है, जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया हैः

कि यह सब गंदी बातें, शैतानी काम हैं। (सूरे माइदाः९०)

इसलिए इन चीज़ों की अवैधता पर विश्वास करने के साथ इन्हें गंदा समझना और शैतान का काम मानना ज़रूरी है।

अगर शरीअत के आदेश का कारण और हिकमत ना भी मालूम हो तो एक मुसलमान होने की वजह से हम पर ज़रूरी है कि शरीअत के आदेशों को खुशी-खुशी स्वीकार करें और केवल इस आधार पर शरीअत के किसी आदेश का इंकार न करें कि इसके बाद वैध ओर अवैध होने का कारण नहीं समझ में आ रहा हैं इस संबंध में हम मुसर्रात (वह बकरी जिसका थन बांध दिया गया हो ताकि वह बड़ा दिखे और ग्राहक यह सोचकर कि यह बकरी ज्यादा दूध देती है, ज्यादा मूल्य देकर उसे खरीद ले) वाली हदीस का उल्लेख कर सकते हैं क्योंकि इस बारे में बहुत से लोग भ्रम के शिकार हुए हैं। उनकी मोटी बुद्धि में यह बात नहीं आ सकी कि जिस बकरी, गाय, ऊंटनी इत्यादि जानवरों का अगर कोई कुछ दिनों तक दूध दुहना छोड़ दे और फिर इसे बेच दे और खरीदार जब इस जानवर को अपने घर ले जाए तो उसे तीन दिन तक अधिकार प्राप्त रहेगा कि चाहे तो इस जानवर को अपने पास रखे और चाहे तो जानवर वापस कर दे और उसके साथ एक साअ (ढाई किलो) खजूर वापस करेगा। (सहीह बुखारीः २१४८, सहीह मुस्लिम १५२४)

इस हक़ीक़त के स्पष्ट होने के बाद ओलमा ए किराम के लेखों को जब देखते हैं तो मालूम होता है कि उन्होंने सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने से मना करने की कुछ हिक्मतें बयान की हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैंः

१. गैर अरब बादशाहों से समानता

२. घमंड और फिजूल खर्ची

३. गरीब का हतोत्साहन

खाना तैयार हो और नमाज का वक्त हो जाए तो क्या करें?

खाना तैयार हो और नमाज़ का वक़्त हो जाए तो इस अवसर से शरीअत ने मार्गदर्शन किया है कि पहले खाना खाना चाहिए ताकि संतुष्ट होकर नमाज़ पढ़ सकें। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहू अन्हू बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''जब किसी को रात का खाना पेश कर दिया जाए और जमाअत खड़ी हो जाए तो उसे चाहिए कि पहले खाना खाए और जल्दबाज़ी न करें यहां तक कि खाना खाकर फारिग हो जाएं। (सहीह बुखारी : ६७३, सहीह मुस्लिमः ५५९)

एक दूसरी हदीस में है कि अगर खाना मौजूद हो और कोई शख्स नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज़ नहीं होगी।

उम्मुल मोमिनीन आइशा रज़ियल्लाहो अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

खाने की मौजूदगी में नमाज़ नहीं, और ना ही उस वक़्त जब आदमी पेशाब पखाना को रोकने की कोशिश कर रहा हो। (सहीह मुस्लिम : ५६०)

इस हदीस पर गौर करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने खाना की मौजूदगी में नमाज़ ना पढ़ने की नसीहत की

और कहा कि ऐसी हालत में इंसान को पहले खाना खाना चाहिए इसके बाद नमाज़ पढ़ना है क्योंकि नमाज़ में एकाग्रता होनी चाहिए और अगर कोई शख्स खाना छोड़कर नमाज़ पढ़ेगा तो उसका ध्यान खाने की तरफ लगा रहेगा जिसकी वजह से खाने की मौजूदगी में नमाज़ पढ़ने से रोका गया है।

खाने की शुरूआत ''बिस्मिल्लाह'' से करनी चाहिए और कोई खाने की शुरूआत में इसे पढ़ना भूल गया हो तो उसे ''बिस्मिल्लाही फी अव्वलिही व आख़िरिही'' पढ़ना चाहिए।

जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है और दाखिल होते हुए अल्लाह को याद करता है तो शैतान कहता है कि यहां तुम्हारे लिए रात गुज़ारने की जगह है और न रात का खाना है। और अगर दाखिल होते समय अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता तो शैतान कहता है कि तुम्हें रात गुज़ारने की जगह मिल गई। अगर वह खाने के वक़्त अल्लाह को याद नहीं करता है तो शैतान कहता हैः कि तुम्हें रात गुज़ारने की जगह और रात का खाना दोनों मिल गया।'' (सहीह मुस्लिम २०१८)

हुजैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत दूसरी हदीस में है, वह बयान करते हैं कि जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ किसी खाने पर हाजिर होते थे तो उस वक़्त तक खाने को हाथ नहीं लगाते थे जब तक अल्लाह के रसूल खाने को हाथ ना लगा दें। एक बार हम लोग आपके साथ एक दस्तरखान पर हाजिर थे कि एक बच्ची तेजी से आई जैसे कि उसे कोई धकेल रहा हो, वह खाने में अपना हाथ डालने ही जा रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक देहाती तेज़ी से आया मानो उसे भी कोई धकेल रहा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उसका भी हाथ पकड़ लिया और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब किसी खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो शैतान उसको हलाल कर लेता है। शैतान उस बच्ची के साथ आया था ताकि खाना खा ले तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिय फिर उस देहाती के साथ आया ताकि खाना खा ले फिर मैंने उसका भी हाथ पकड़ लिया। उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है। यकीनन शैतान का हाथ उन दोनों के हाथों के साथ मेरे हाथ में है इसके बाद आपने बिस्मिल्लाह कहा और खाना खाया। (सहीह मुस्लिम १०१७)

इससे मालूम हुआ कि खाना खाने के वक़्त अल्लाह का नाम लेने से शैतान से हिफाजत होती है अगर कोई खाना खाते समय अल्लाह का नाम नहीं लेता है तो शैतान उसके खाने में शामिल हो जाता है।

इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और कभी बिस्मिल्लाह कहना भूल जाएं तो जब याद आए तो बिस्मिल्लाही फी अव्वलिही व आख़िरिही पढ़ें।

उम्मुल मोमिनीन आइशा रज़ियल्लाहो अन्हा कि इस हदीस से यह स्पष्ट हो जाता है जिसमें आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

जब तुम में से कोई खाना खाए तो उसे चाहिए कि बिस्मिल्लाह

पढ़े अगर वह शुरू में बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए तो बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिरिही पढ़े। (सुनन तिर्मिज़ीः १८५८, शैख अल्बानी ने सहीह तिर्मिज़ी में इस हदीस को सहीह क़रार दिया है)

खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इमाम नव्वी रहिमाहुल्लाह ने कहा कि मुसलमान को चाहिए कि वह बिस्मिल्लाह का तरीक़ा सीख ले। ज़्यादा बेहतर (अफ़ज़ल) यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे। अगर केवल बिस्मिल्लाह भी पढ़ता है तो यह काफी है और यह शब्द कहने से सुन्नत अदा हो जाएगी। (अल अज़कार १/२३१)

अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहिमाहुल्लाह ने इमाम नव्वी के इस कथन पर अपनी राय देते हुए लिखा है कि उन्होंने अफजल होने का दावा किया है इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। (फतहुल बारी)

शैख़ अल्बानी रहिमहुल्लाह इस सिलसिले में लिखते हैंः मैं कहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अफजल कोई चीज नहीं है और बेहतरीन तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। जब खाने के वक़्त बिसिमल्लाह ही साबित है तो इसमें शब्द बढ़ाना जायज़ नहीं होगा। अफज़ल क़रार देने की तो ज़रूरत ही नहीं इसलिए कि अगर हम ऐसी बात कहते हैं तो इस हदीस ''सबसे बेहतरीन तरीक़ा पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का है''। (सहीहा १/३४३) के खिलाफ है।

ओलमा के कथन और उनकी दलीलों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि खाने से पहले बिसिमल्लाह पर ही संतोष किया जाएगा और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से यह साबित नहीं है।

क्या हर लुक़मा खाने के बाद या हर घूंट पानी पीने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना है?

इमाम गज़ाली रहिमाहुल्लाह ने अपनी किताब एहयाउल उलूम में उल्लेख किया है कि अगर खाने वाला हर लुक़मा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। पहली बार वह बिस्मिल्लाह, दूसरी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमान और तीसरी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा।

लेकिन अन्य ओलामा ने इमाम गज़ाली रहिमाहुल्लाह के इस कथन को अस्वीकार क़रार दिया है क्योंकि सहीह हदीसों से इस बात की दलील नहीं मिलती है। हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी रहिमाहुल्लाह कहते हैं कि इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह ने जो कुछ कहा है उसके मुस्तहब होने की कोई दलील नहीं है। (फ़तहुल बारी ६/५२१)

इब्ने अब्दुल बर्र रहिमहुल्लाह कहते हैं कि खाने की शुरूआत में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से साबित है। अगर वह बात दुरूसत होती जिसे कुछ लोगों ने बयान किया है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से हर लुक़मा के वक़्त बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना साबित होता जबकि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात साबित नहीं है और ना ही मेरी जानकारी की हद तक किसी ने इस पर अमल किया है। अगर कोई यह अमल अंजाम भी दिया होता तो मैं ना इसकी प्रशंसा करता हूं और न निंदा करता हूं। (अत्तमहीद १/३६८)

इन कथनों से यह बात स्पष्ट

हो जाती है कि बिसिमल्लाह केवल खाने की शुरूआत में ही किया जाएगा और हर लुक़्मा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना या दूसरी दुआएं पढ़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है।

इसके विपरीत इब्नुल हाज मालिकी रहिमाहुल्लाह ने कहा कि खाने की शुरूआत में बिसिमल्लाह पढ़ेंगे और खाने से फारिग़ होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन जब पानी पीएंगे तो हमें मालूम है कि हमें तीन सांस में पानी पीने का हुक्म दिया गया है तो हर सांस के शुरू में बिस्मिल्लाह कहेंगे और एक सांस में पीकर फारिग़ होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे।

इमाम इब्नुल हाज मालिकी रहिमाहुल्लाह ने अपने दृष्टिकोण को साबित करने के लिए कुछ हदीसों को बयान किया है जो सहीह सनद से साबित नहीं हैं लेकिन हम उन हदीसों को केवल इसलिए उल्लेख कर रहे हैं ताकि हम इनसे धोखे में ना पड़ें।

१. अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

ऊंट की तरह एक ही सांस में पानी ना पिया करो बल्कि दो या तीन सांस में पानी पिया करो और जितनी बार पानी पियो अल्लाह का नाम लो और जब बर्तन से मुंह हटाओ तो अल्हम्दुल्लिाह कहो। (सुनन तिर्मिज़ी १८८५, इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी और अल्लामा अल्बानी रहिमहुल्लाह ने जईफ क़रार दिया है क्योंकि इस हदीस की सनद में यज़ीद बिन सिनान अबू फरवा अल रहावी है जिसके जईफ होने पर आलोचकों (ओलामा ए जरहो तादील) का इत्तेफाक़ है)

२. अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तीन सांस में पानी पीते थे और हर सांस के बाद हम्द व शुक्र किया करते थे। (अल मोजमुल कबीर, तबरानी १०/२०५, यह हदीस अत्यंत ज़ईफ है क्योंकि इस हदीस की सनद में मोअल्ला बिन इरफान नामी एक रावी है जिसे इमाम बुखारी ने मुंकिरूल हदीस और इमाम नेसाई ने मतरूकुल हदीस क़रार दिया है, देखिए मीज़ानुल एतेदाल ४/१४६)

३. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तीन सांस में पानी पीते थे जब आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बर्तन को मुंह से करीब करते थे तो अल्लाह का नाम लिया करते थे और जब दूर करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ऐसा तीन बार किया करते थे। (अल मोजमुल कबीर १/२५७, इस हदीस की सनद जईफ है क्योंकि इस हदीस की सनद में ऐसा रावी मुनफरिद है कि इन जैसे रावियों की हदीस मक़बूल नहीं होती है। इमाम अबू हातिम ने कहा है यह मुंकर हदीस हैं (देखिए एलालुल हदीस ६/१३६)

सारांश यह है कि आप खाना खा रहे हों या पानी पी रहे हों, दोंनों अवसर पर शुरूआत में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरा कोई अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है।

❑ ❑ ❑

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शिक्षाएँ एवं उपदेश

❑ अल्लाह के रसूल स०अ०व० ने फरमायाः जुल्म और ज्यादती और रिश्ता नाता तोड़ना यह दोनों ऐसे जुर्म हैं कि अल्लाह तआला आखिरत की सजा के साथ दुनिया ही में इसकी सजा दे देता है। (तिर्मिज़ी २५११, अबू दाऊद ४६०२)

❑ अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूल स०अ०व० को फरमाते हुए सुना कि जिस किसी मुसलमान के मरने पर चालीस ऐसे आदमी जनाज़े की नमाज़ पढ़ा दें जो अल्लाह के साथ शिर्क न करते हों तो अल्लाह तआला उनकी सिफारिश उसके हक़ में कुबूल करता है। (मुस्लिम-६४८)

❑ हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि मुझ से रसूल स०अ०व० ने फरमाया जिस शख्स का आखिरी कलाम ''लाइलाहा इल्लल्लाह'' हो वह जन्नत में जायेगा। (अबू दाऊद ३११६)

❑ अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल स०अ०व० ने फरमाया जो शख्स किसी के जनाज़े में नमाज़ की अदायगी तक शामिल रहे तो उसे एक कीरात के बराबर सवाब मिलेगा। पूछा गया कि कीरात का क्या अर्थ है तो आप ने फरमायाः दो बड़े पहाड़ अर्थात नमाज़े जनाज़ा और तदफीन तक साथ रहने वाला दो बड़े पहाड़ों के बराबर सवाब लेकर वापस लौटेगा। (सहीहुल बुखारी १३२५, सहीह मुस्लिम ६४५)

❑ हज़रत अनस रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि आपने फरमाया क्यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जायेगा, जाहिलियत बढ़ जायेगी और शराब पिया जायेगा ज़िना (व्यभिचार) आम हो जायेगा। (बुखारी-मुस्लिम)

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल स०अ०व० ने महल्लों में मस्जिदें बनाने उन्हें पाक साफ और खुश्बूदार रखने का हुक्म दिया है। (अबू दाऊद)

❑ आपने फरमायाः जिसने अल्लाह की खुशी के लिये मस्जिद बनायी तो अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में वैसा ही घर बनायेगा। (बुखारी-४५०)

❑ पैगम्बर मुहम्मद स० ने फरमायाः जब तुम्हारा गुज़र जन्नत के बागों में से हो तो उसके फल खाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो अन्हो ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! जन्नत के बाग कौन से हैं? तो मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया कि मस्जिदें हैं।

❑ पैगम्बर मुहम्मद स०अ०व० ने फरमायाः मोमिन की मौत के बाद उसके कर्म और अच्छे कामों से जिसका उसे सवाब मिलता है वह सात हैं। इल्म जो उसने

दूसरों को सिखाया और फैलाया २. नेक लड़का ३. कुरआन मजीद, जिसका किसी को इल्मी वारिस बनाया। ४. मस्जिद जिसने बनवायी ५. घर जो मुसाफिरों के लिये बनवाया। ६. नहर ७. सदक़ा जो अपनी जिन्दगी में स्वस्थ होने की हालत में दिया। इन सात कामों का सवाब मौत के बाद भी इन्सान को मिलता रहता है।

नबी स०अ०व० ने फरमाया कि जब कब्र में सवाल होता है तो काफिर या मुनाफिक यह जवाब देता है हाय हाय मुझे मालूम नहीं मैंने लोगों को एक बात करते हुये सुना तो मैं भी इसी तरह कहता रहा इसके बाद उसे लोहे से मारा जाता है कि वह चीख उठता है उसकी चीख पुकार को इन्सान और जिन्नातों के अलावा हर चीज़ सुनती है अगर इन्सान इस आवाज़ को सुन ले तो बेहोश हो जायेगा।(बुखारी १३८०. १३३८)

❑ अल्लाह के रसूल स०अ०व० ने फरमाया रिश्ता नाता अर्श से लटका हुआ है और कहता है, जो मुझे मिलाये, अल्लाह उसे अपने साथ मिलाये और मुझे तोड़े अल्लाह उसे अपने से तोड़े। (मुस्लिम २५५५)

❑ अल्लाह के नबी स०अ०व० ने फरमायाः किसी मिस्कीन पर सदक़ा करना केवल सदका है और अगर यही सदका किसी गरीब रिश्तेदार पर किया जाये तो इसकी हैसियत दो गुना हो जाती है एक सदके का सवाब और दूसरे रिश्तेनातेदारी जोड़ने का सवाब। (तिर्मिज़ी ६५८)

❑ अल्लाह के नबी स०अ०व० ने फरमायाः जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे रिश्ता नाता जोड़े रहना चाहिये।

❑ अल्लाह के नबी स०अ०व० ने फरमायाः रिश्ता नाता जोड़ने से खानदान में मुहब्बत बढ़ती है माल में बढ़ोतरी होती है और उमर में बरकत होती है। (तिर्मिज़ी) नवास बिन समआन रजिअल्लल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क्यामत के दिन कुरआन, उसके पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वालों को लाया जायेगा उस वक्त सूरे बकरा और आले इमरान उस के आगे आगे होगी। (मुस्लिम ८०५)

मअ्क़िल बिन यसार रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः फितनों के जमाने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत के समान है। (मुस्लिम २९४८)

नौमान बिन बशीर रज़िल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क्यामत के दिन सबसे हलका अज़ाब उस जहन्नमी शख्स को होगा जिसके दोनों पांव के तलवों में केवल आग की जूतियां होंगी जिसकी वजह से उसका दिमाग खौलेगा जिस तरह से मिरजल (हांडी) और क़ुमक़ुम (बर्तन का नाम) खौलता है। (बुखारी ६५२२ मुस्लिम २१३)

अबू अय्यूब अनसारी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः किसी शख्स के लिये यह जाइज नहीं कि अपने किसी भाई से तीन दिन से ज्यादा के लिये मुलाकात छोड़े इस तरह कि जब दोनों का सामना हो जाये तो यह भी मुंह फेर ले और वह भी मुंह फेर ले और उन दोनों में बेहतर वह है

जो सलाम में पहल करे। (बुखारी ६०७७ मुस्लिम २५६०)

उमर बिन अबू सलमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुझ से कहाः ऐ लड़के खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहो और अपने दायें हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। (बुख़ारी ५३७६ मुस्लिम २०२२)

मुगीरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः बेशक मेरे ऊपर झूठ बांधना किसी दूसरे पर झूठ बांधने की तरह नहीं है जिस ने मुझ पर जान बूझ कर झूठ बाधा तो उसे अपना ठिकाना जहन्नम मे बना लेना चाहिये। (बुख़ारी १२६१ मुस्लिम ४)

अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जहन्नम बराबर कहेगी ''और चाहिये'' लेकिन जब अल्लाह अपने पैर को उसमें रख देगा तो कहेगी बस बस तुम्हारी इज्जत की कसम एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाये जा रहा है (बुख़ारी २८४८, मुस्लिम ६६६१)

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मुसलमान के लिये अमीर की बात सुनना और उसकी एताअत करना जरूरी है उन चीज़ों में भी जिन्हें वह पसन्द करे और उनमें भी जिन्हें वह नापसन्द करे जब तक उसे मअ़सियत का हुक्म न दिया जाये कि जब उसे मअ़सियत का हुक्म दिया जाये तो न सुनना बाकी रहेगा न एताअत करना। (बुखारी ७१४४, मुस्लिम १८३०)

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः गैब की पांच कुंजियां हैं जिन्हें केवल अल्लाह ही जानता है मां के पेट में क्या है केवल अल्लाह जानता है, आने वाले कल में क्या होगा केवल अल्लाह ही जानता है बारिश कब होगी केवल अल्लाह जानता है किसी की मौत किस जगह होगी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है और क्यामत कब काइम होगी सिर्फ अल्लाह जानता है। (बुखारी ७३७६)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब आंधी चलती तो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम कहते ''अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरहा व खैरा मा फीहा व खैरा मा उर सिलत बिही व अ जूबिका मिन शर रिहा व शर्रे-मा फीहा व शर्रे-मा उर सिलत बिहि'' (मुस्लिम८९९)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः रिश्ता नाता अर्श से लटका हुआ है वह कहता है जो मुझे जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा और जो मुझे तोड़ेगा उसको अल्लाह भी तोड़ेगा। (बुखारी ५९८९ मुस्लिम २५५५)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसने किसी बात पर क़सम खाई फिर कोई दूसरी चीज़ उससे बेहतर देखी तो बेहतर को अंजाम दे और अपनी क़सम का कफ्फारा अदा कर दे। (मुस्लिम १६५०)

अबू मसऊद अनसारी

रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब कोई मुसलमान अल्लाह का हुक्म मानने के मकसद से अपने बाल बच्चों पर खर्च करता है तो यह उसके लिये सदका (पुण्य) होता है। (बुखारी ५३५१, मुस्लिम १००२)

हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः खरीदने और बेचने वाले जब तक एक दूसरे से अलग न हो जायें उन्हें यह इख्तियार बाकी रहता है अब अगर दोनों ने सच्चाई अपनायी और हर बात साफ साफ बयान किया तो उनके बेचने और खरीदने में बरकत होती है और अगर झूठ बोला और कोई बात छिपायी तो उनकी तिजारत से बरकत खत्म कर दी जाती है। (बुखारी २११० मुस्लिम १५३२)

सअ्द बिन अबू वक़ास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को कहते हुये सुना जिसने सुबह सवेरे सात अज़्वा खुजूरें खायीं तो उस दिन कोई जहर और जादू असर नहीं करेगा। (बुखारी ५७६८ मुस्लिम २०४७)

पाठक गण ध्यान दें

1-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। 2-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सूचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। 3-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। 4-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। 6- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। 7. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये 3 बजे से 5 बजे तक फून करें। 011-23273407

शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा

प्रो० डा० ज़ियाउर्रहमान आज़मी

कुरआन कहता है:-

''ऐसा क्यों न हुआ कि उनके हर गरोह में से एक टोली निकलती ताकि वे धर्म में समझ पैदा करते और वे अपने लोगों को होशियार करते, जबकि वे उनकी ओर पलटते। इस तरह शायद वे बुरे कामों से बच जाते'' (सूरा-९, अत-तौबा, आयत-१२२)

कुरआन की यह एक आयत उन सब आरोपों को झुठलाने के लिए काफ़ी है जो इस्लाम पर ज्ञान और विज्ञान के बारे में लगाए जाते हैं। अगर इस्लाम ज्ञान और विज्ञान के विरूद्ध होता तो कुरआन इस तरह पुकार कर न कहता कि ऐ लोगो! अपने घरों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकलो, ताकि संसार को सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म और अच्छे-बुरे कर्मों से सचेत कर सको।

आज सारा संसार उलझन में है, जबकि इन्सान धरती पर रहते हुए आकाश का स्वप्न देखने लगा है। मगर जिस सुख-चैन के लिए उसने अपनी पूंजी ख़र्च कर डाली है वह उसको अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कि वह अपने सत्य-मार्ग से मुंह मोड़कर किसी और रास्ते पर चल पड़ा है। उसकी शिक्षा का उद्देश्य था कि संसार की सही रहनुमाई और मार्गदर्शन करे, परन्तु आज वह एटम बम बनाकर उसको गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है और अपनी ताक़त को इनसानों की भलाई के बजाए उसे नष्ट विनष्ट करने में लगा हुआ है। परन्तु वह शिक्षा जो इनसान को इनसान बनाने के लिए प्राप्त की जाए इस्लाम उसके विरूद्ध कभी नहीं रहा, और न रहेगा।

आपको आश्चर्य होगा कि कुरआन अपने नबी को सम्बोधित करके कहता है-

''अतः जान रखो कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के योग्य नहीं'' (सूरा-४७, मुहम्मद, आयत-१९)

इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि ईश्वर की प्रार्थना और इबादत उस समय तक सही नहीं होगी जब तक पुजारी को यह न मालूम हो जाए कि उपासना के योग्य तो केवल ईश्वर ही है। दूसरे शब्दों में, यह कह सकते हैं कि उपासक को चाहिए कि उपासना करने से पहले अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त कर ले। कहीं ऐसा न हो कि अज्ञान में वह किसी और की उपासना कर बैठे।

इसमें उन लोगों के लिए चेतावनी है जो धर्म को केवल अंधविश्वासों का योग समझते हैं और उसकी वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित होने की चेष्टा नहीं करते। हो सकता है कि उनका यह दृष्टिकोण दूसरे धर्मों के बारे में सत्य हो, परन्तु इस्लाम इसके बिल्कुल विपरीत है।

इस बात को कुछ और स्पष्ट रूप से समझने के लिए मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की कुछ पवित्र शिक्षाओं का सारांश यहां बयान किया जा रहा है ताकि इस्लाम में शिक्षा के महत्व को भली-भांति समझा जा सके।

क़ैस-बिन-क़सीर कहते हैं कि एक बार मैं अबू-दरदा के साथ दमिश्क़ की मस्जिद में बैठा था कि एक आदमी आया और कहने लगा, ऐ अबू दरदा! मैं मदीना से आपके

पास इसलिए आया हूं कि मुझे ख़बर मिली है कि आप मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं''

अबू दरदा ने फ़रमाया मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप फरमाते थे।

''जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए रास्ता तय करके आगे बढ़ता है उसके रास्ते में फ़रिश्ते पर (पंख) बिछाते हैं और ईश्वर उसके रास्ते को आसान कर देता है।'' (इब्ने-माजा २२६)

अनस रजियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकलता है वह अल्लाह के रास्ते में है, यहां तक कि वापस आ जाए।'' (तिर्मिज़ी २६४७)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''जिसके साथ अल्लाह भलाई करना चाहता है उसको धर्म में सूझबूझ प्रदान कर देता है।''

अबू दरदा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का उपदेश है कि

''शिक्षित व्यक्ति की विशेषता उपासक पर उसी प्रकार है जिस प्रकार चौदहवी के चांद की विशेषता सारे सितारों पर। और शिक्षित लोग नबियों के वारिस हैं और नबी दीनार और दिरहम नहीं छोड़कर जाते, बल्कि वे शिक्षा और ज्ञान छोड़ते हैं, इसलिए जिसने शिक्षा ग्रहण की उसने बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त किया।'' (अबू दाऊद ३६४१ तथा इब्ने-माजा २२३)

अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''ज्ञान की बात मोमिन की खोई हुई सम्पति है। इसलिए वह उसको जहां भी पाए उसका वही हक़दार है''। (हदीसः तिर्मिज़ी)

ये तो कुछ वे हदीसें हुईं जो शिक्षा प्राप्त करने पर उभारती हैं। अब आइए कुछ ऐसी हदीसों का भी अध्ययन करें जो ज्ञान छिपाने और उसको दूसरों तक न पहुंचाने पर कड़ी आलोचना करती हैं। इस प्रकार हमको मालूम होता है कि इस्लाम शिक्षा प्राप्त करने पर किस तरह उभारता है दूसरे शब्दों में इस्लाम कितना वैज्ञानिक धर्म है।

ज्ञान छिपाने वालों की कड़ी आलोचना

शिक्षा की इसी विशेषता के कारण कुरआन उन लोगों की कड़ी आलोचना करता है जो ज्ञान रखते हुए भी उसको दूसरों से छिपाते हैं और उसको समाज में फैलाने की कोशिश नहीं करते ताकि और लोग उससे लाभ उठा सकें, इससे यह बात भली-भांति स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम में शिक्षा का कितना महत्व है।

आइए, कुरआन की कुछ ऐसी आयतों का भी अध्ययन करें जो ज्ञान छिपाने वालों की कड़ी आलोचना करती है।

उससे बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जिसके पास ईश्वर की ओर से गवाही हो और वह उसे छिपाए। (सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-१४०)

गवाही का अर्थ इस्लामी धर्म-गुरू यह लेते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आने की ख़बर दी गई थी, परन्तु उन्होंने इसको छिपा दिया और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का दावा किया तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। हिन्दू धर्म के ग्रन्थ वेद और पुराणों में भी मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आने की सूचना

दी गई है इसके कुछ नमूने यहां पेश करते हैं।

"एक-दूसरे देश में एक आचार्य अपने मित्रों के साथ आएंगे उनका नाम महामद होगा, वे रेगिस्तानी क्षेत्र में आऐंगे।" (भविष्य पुराण अ ३२३ सू. ५/८)

इस श्लोक और सूत्र में स्पष्ट रूप से नाम और स्थान के संकेत हैं। आने वाले पुरूष की अन्य निशानियां इस प्रकार बयान हुई हैं।

"पैदाइशी तौर पर उनका ख़तना किया हुआ होगा, उनके जटा नहीं होगी, वे दाढ़ी रखे हुए होंगे, गोश्त खाएँगे, अपना संदेश स्पष्ट शब्दों में ज़ोरदार तरीक़े से प्रसारित करेंगे, अपने संदेश के मानने वालों को मूसलाई नाम से पुकारेंगे"

इस श्लोक को ध्यानपूर्वक देखिए। ख़तने का रिवाज हिन्दुओ में नहीं था। जटा यहां का धार्मिक निशान था। आने वाले महान पुरुष अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अन्दर ये सभी बातें पाई जाती हैं। फिर इस संदेश के मानने वालों के लिए मूसलाई का नाम है। यह शब्द मुस्लिम और मुसलमान की ओर संकेत करता है।

अथर्ववेद अध्याय २० में निम्नलिखित श्लोक देख सकते हैं

"हे भक्तो! इसको ध्यान से सुनो! प्रशंसा किया गया, प्रशंसा किया जाने वाला वह महामहे महान ऋषि साठ हज़ार नव्वे लोगों के बीच आएगा।"

मुहम्मद का अर्थ है, जिसकी प्रशंसा की गई हो। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पैदाइश के समय मक्का की आबादी साठ हज़ार थी।

कुरआन मजीद नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को, जगत के लिए रहमत, के नाम से याद करता है। ऋग्वेद में भी हैं

"रहमत का नाम पाने वाला, प्रशंसा किया हुआ दस हज़ार साथियों के साथ आएगा।" मंत्र, ५/२७/१

इसी तरह वेद में महामहे और महामद के नाम से भी मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आगमन का उल्लेख है

यह अर्थ अपने स्थान पर सही है मगर आप इसको और भी विस्तृत कीजिए और उसमें हर उस गवाही को शामिल कर लीजिए जो अल्लाह ने आपको सौंपी है, चाहे वह शिक्षा हो या किसी विशेष वस्तु का ज्ञान जो मानव-समाज के लिए लाभदायक हो। कुरआन में है-

"सत्य को असत्य से गडमड न करो और जानते-बूझते सत्य को न छिपाओ।" (सूरा-२, अल-बकरा, आयत-४२)

"रसूल पर पहुंचा देने के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं, और अल्लाह सब जानता है जो कुछ तुम खुले करते हो और जो छिपाते हो।" (सूरा-५, अल-माइदा, आयत-९९)

"याद करो जब अल्लाह ने उन लोगों से, जिन्हें किताब दी गई थी, यह पक्का वादा लिया कि तुम इस किताब को लोगों के सामने भली-भांति स्पष्ट करोगे और छिपाओगे नहीं तो उन्होंने उसे पीठ पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्य पर उसका सौदा किया तो क्या ही बुरा सौदा है जो ये करते हैं।" (सूरा-३, आले-इमरान, आयत-१८७)

इन आयतों से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि पिछली जातियों ने अल्लाह की ओर से दी गई किताब को लोगों से छिपाए रखा और उसको भली-भांति उन तक नहीं पहुंचाया और यह एक प्रकार का बहुत बड़ा अत्याचार है, क्योंकि यह किताब ज्ञान का भंडार थी उसको छिपाने वाला बहुत बड़ा अत्याचारी और धर्म-विरोधी व्यक्ति है। कुरआन में है:-

"निस्सन्देह जो लोग हमारी

उतारी हुई खुली-खुली निशानियों और मार्गदर्शन को छिपाते हैं, जबकि हम उसे लोगों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में खोलकर बयान कर चुके हैं, वही हैं जिनपर अल्लाह की फटकार पड़ती है और फटकारने वाले जिन्हें फटकारते हैं। (सूरा २, अल-बकरा, आयत-१५६)

''निस्सन्देह जो लोग उस चीज़ को छिपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में उतारी है, और उसके बदले थोड़ा मूल्य प्राप्त करते हैं, वे अपने पेट में आग के सिवा किसी और चीज़ को नहीं भर रहे हैं और क़ियामत के दिन न तो अल्लाह उनसे बात करेगा और न उन्हें पाक करेगा। उनके लिए दुखदायिनी यातना है।'' (सूरा-२, अल बकरा, आयत-१७४)

ये वे कुछ आयतें हैं जो ज्ञान छिपाने वालों पर कड़ी आलोचना करती हैं, इनसे भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम में शिक्षा का कितना महत्व है। अब आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के कथनों की रौशनी में इस बात को और स्पष्ट कर दें। अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो अन्हो से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''जिससे कोई ज्ञान की बात पूछी गई हो और वह उसको जानता हो, मगर उसने उसे छिपा दिया, उसे प्रलय के दिन आग की लगाम लागई जाएगी।'' (अबू-दाऊद, ३६५८, तिरमिज़ी २६४६, इब्ने-माजा २६१)

इस हदीस में उन लोगों की कड़ी आलोचना की गई है जो ज्ञान रखते हुए भी उसको लोगों तक नहीं पहुंचाते जिसके कारण वह ज्ञान कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाता है। उसका लाभ दूसरों को नहीं पहुंचता, क्योंकि दूसरों तक ज्ञान पहुंचाने मे उसकी बढ़ोतरी है और अपने तक रख लेना उसके लिए नुक़सान है। यह भी हो सकता है कि ज्ञान जिसे दूसरे तक पहुंचाया गया है, वह उससे अधिक समझ रखने वाला हो और उसके द्वारा अधिक फ़ायदा उठाए जैसा कि एक दूसरी हदीस में आया हैः-

अब्दुल्लाह बिन मसऊद का कहना है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना-

''अल्लाह उस बन्दे को खुश रखे जिसने मेरी बात सुनी, उसे याद रखा और ठीक रूप में लोगों तक पहुंचाया। क्योंकि प्रायः ऐसा होता है कि समझ और विवेक की बात का पहुंचाने वाला स्वयं उतना ज़्यादा समझदार नहीं होता और ऐसा भी होता है कि समझ और विवेक की बात का पहुचाने वाला ऐसे व्यक्ति तक बात पहुंचा देता है जो कि उससे कहीं ज़्यादा विवेकशील होता है।'' (तिर्मिज़ी तथा इब्ने माजा २३२)

इस हदीस में जिस बात की ओर इशारा किया गया है वह यह है कि ज्ञान वालों को ज्ञान छिपाना नहीं चाहिए। इसकी वजह से पूरे समाज का नुकसान होता है, क्योंकि ज्ञान ध ारक प्रायः अपने ज्ञान का लाभ नहीं समझता। इसलिए अगर वह दूसरों तक वह ज्ञान पहुंचा देता है तो दूसरे उससे इच्छानुसार लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति में यह सलाहियत नहीं रखी है कि अच्छी बातों को समाज में लागू कर सके।

इसलिए इस हदीस में एक प्रकार से उन लोगों की आलोचना है जो ज्ञान को दूसरों तक नहीं पहुंचाते।

हां, इतनी बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ज्ञान पहुंचाते हुए

उस व्यक्ति को भी अच्छी तरह देख लेना चाहिए, जिसको ज्ञान पहुंचाया जा रहा है कि कहीं वह उस ज्ञान के कारण फितने में न पड़ जाए जैसा कि एक हदीस में आया है-

अब्दुल्लाह बिन मसऊद से उल्लिखित है कि उन्होंने कहा-

''लोगों को हदीस सुनाते समय उनकी समझ-बूझ का ख्याल रखो। कहीं ऐसा न हो कि तुम उनको ऐसी बातें बता दो जो उनकी समझ से ऊंची हों और उनके कारण कोई फ़ितना पैदा हो जाए''। (सहीह मुस्लिम)

यद्यपि यह नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, परन्तु इससे यह बात भली प्रकार स्पष्ट होती है कि हदीस बयान करते समय लोगों की समझ-बूझ का सदैव ख्याल रखा जाना चाहिए।

यह जो कुछ मैंने बताया है इसका सम्बन्ध इस्लामी शिक्षाओं से है। रही वे शिक्षाएं जिनका सम्बन्ध हमारे सामाजिक जीवन से है तो कुरआन ने इस विषय में बड़ी चेतावनी दी है, यहां तक कि उन लोगों को कि जो अपनी अक़्ल को भली-भांति प्रयोग नहीं करते, पशुओं के समान बताया है।

''उनके पास दिल है परन्तु वे उनसे समझते नहीं, और उनके पास आंखें हैं परन्तु वे उनसे देखते नहीं, और उनके पास कान हैं परन्तु वे उनसे सुनते नहीं। वे तो पशुओं की तरह हैं, बल्कि ऐसे लोग तो उनसे भी अधिक गुमराह हैं। यही वे लोग हैं जो ग़फ़लत में पड़े हुए हैं।'' (सूरा-७, आराफ़, आयत १७९)

इससे बढ़कर उन लोगों की निन्दा और क्या हो सकती है जो अक़्ल रखते हुए भी मानव-समाज की भलाई सोचने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण वे क़ियामत के दिन अपने इस गुनाह को स्वीकार करेंगे और कहेंगे।

''यदि हम सुनते होते, या बुद्धि से काम लेते तो हम दहकती आग में पड़ने वालों में न होते।'' (सूरा-६७, अल-मुलक, आयत-१०)

इसलिए अल्लाह ने मनुष्य को बार-बार अपने सामने फैले हुए ब्रहमाण्ड को देखने, विचारने, तथा उस पर ध्यान देने की चेतावनी दी है ताकि वे इस पृथ्वी को नष्ट करने के बजाय उसको आबाद करें। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि नई साइंस के द्वारा जो तरक्की मनुष्य की भलाई के लिए हुई है इस्लाम उसको स्वीकार करता है, और इस्लाम साइंस की उन्नति मं रूकावट नहीं डालता बल्कि ज्ञान को असीमित बताता है ताकि और अधिक प्रयत्न किया जाए। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि हम इनसान की हर शिक्षा को आंख बन्द करके ग्रहण कर लेंगे। बल्कि पहले हम उसे इस्लाम की कसौटी पर परखें गे जो उसके विरूद्ध होगी उसको छोड़ देंगे।

अतः हम इस तरह की शिक्षाओं को कदापि स्वीकार नहीं करेंगें

संक्षेप में यह कि आप कुरआन पर एक नज़र डाल कर देखें तो इसमें बहुमूल्य हीरे आपको मिलेंगे, जिसका अगर विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाए तो संसार के सारे काग़ज़ और रोशनाई समाप्त हो जाएं, फिर भी उनकी तह तक मनुष्य नहीं पहुंच सकता। इसी की ओर कुरआन संकेत करता है।

''धरती में जितने वृक्ष हैं, यदि वे क़लम हो जाएं और यह समुद्र उसकी स्याही हो जाए, उसके बाद सात और समुद्र हों तब भी अल्लाह के बोल समाप्त न हो सकेंगे। निश्चय ही अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।'' (सूरा-३१, लुक़मान, आयत-७२)

❑ ❑ ❑

गाँव महल्ला में सुबह शाम पढ़ाने के लिये मकातिब क़ाइम कीजिए मकातिब में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का आयोजन कीजिये

हज़रात! पवित्र कुरआन इन्सानों और जिन्नों के नाम अल्लाह का अंतिम सन्देश है जो आखिरी नबी पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ जो मार्गदर्शन का स्रोत, इबरत व उपदेश का माध्यम, दीन व शरीअत और तौहीद व रिसालत का प्रथम स्रोत है जिस का अक्षर-अक्षर ज्ञान और हिक्मत व उपदेश के मोतियों से परिपूर्ण है जिस का सीखना सिखाना, और तिलावत सवाब का काम और जिस पर अमल सफलता और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सबब और ज़मानत है और कौमों की इज़्ज़त व जिल्लत और उत्थान एवं पतन इसी से सशर्त है। यही वजह है कि मुसलमानों ने शुरूआत से ही इसकी तिलावत व क़िरत और इस पर अमल का विशेष एहतमाम किया। हिफ्ज व तजवीद और कुरआन की तफसीर के मकातिब व मदारिस काइम किए और समाज में इस की तालीम व पैरवी को विशेष रूप से रिवाज दिया जिस का परिणाम यह है कि वह कुरआन की बरकत से हर मैदान में ऊंचाइयों तक पहुंचे लेकिन बाद के दौर में यह उज्जवल रिवायत दिन बदिन कमजोर पड़ती गई स्वयं उप महाद्वीप में कुरआन की तालीम व तफसीर तो दूर की बात तजवीद व किरात का अर्से तक पूर्ण और मजबूत प्रबन्ध न हो सका और न इस पर विशेष ध्यान दिया गया जबकि कुरआन सीखने, सिखाने, कुरआन की तफसीर और उसमें गौर व फिक्र के साथ साथ तजवीद भी एक अहम उददेश था और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस की बड़ी ताकीद भी फरमाई थी।

शुक्र का मकाम है कि चन्द दशकों पहले मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द सहित विभिन्न पहलुओं से शिक्षा जागरूकता अभियान के पिरणाम स्वरूप, मदर्सों, जामिआत, और मकातिब व मसाजिद में पवित्र कुरआन की तजवीद का मुबारक सिलसिला शुरू हुआ था जिस के देश व्यापी स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आए। पूरे देश में मकातिब बड़े स्तर पर स्थापित हुए और बहुत सी बस्तियों में मकतब की तालीम के प्रभाव से बच्चों का मानसिक रूप से विकास होने लगा लेकिन रोज़ बरोज़ बदलते हालात के दृष्टिगत आधुनिक पाठशालाओं, कन्वेन्ट्स और गांव में मदारिस की वजह से मकातिब बहुत प्रभावित हुए इस लिये मकातिब को बड़े और अच्छे स्तर पर विकसित करने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ी को दीन की बुनियादी बातों और पवित्र कुरआन से अवगत कराया जा सके।

इसलिये आप हज़रात से दर्दमन्दाना अपील है कि इस संबन्ध ा में विशेष ध्यान दें और अपने गांव महल्लों में सुबह व शाम पढ़ाने के लिये मकातिब की स्थापना को सुनिश्चित बनाएं। अगर काइम है तो उनकी सक्रियता में बेहतरी लाएं, प्राचीन व्यवस्था को अपडेट करें, इन में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का विशेष आयोजन करें ताकि जमाअत व मिल्लत की नई पीढ़ी को दीन व चरित्र से सुसज्जित करें और उन्हें दीन व अकीदे पर काइम रख सकें।

अल्लाह तआला हम सब को एक होकर दीन जमाअत व जमीअत और मुल्क व मिल्लत की निस्वार्थता सेवा करने की क्षमता दे, हर तरह के फितने और आजमाइश से सुरक्षित रखे और वैश्विक महामारी कोरोना से सबकी रक्षा करे। आमीन

अपील कर्ता

असगर अली इमाम महदी सलफी

अमीर, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द एवं अन्य जिम्मेदारान

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
"Registered with the Registrar of Newspapers for India"

MAY 2024
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

अहले हदीस मंज़िल की तामीर व तकमील के सिलसिले में

सम्माननीय अइम्मा, खुतबा, मस्जिदों के संरक्षकों और जमईआत के पदधारियों से पुरजोर अपील व अनुरोध

अहले हदीस मंज़िल में चौथी मंज़िल की ढलाई का काम हुआ चाहता है और अन्य तीनों मंज़िलों की सफाई की तकमील के लिये आप से अनुरोध है कि आने वाले जुमा में नियमित रूप से अपनी मस्जिदों में इसके सहयोग के लिये पुरज़ोर एलान फरमायें और नीचे दिये गये खाते में रकम भेज कर जन्नत में ऊंचा मक़ाम बनाएं और इस सद-क़-ए जारिया में शरीक हों।

सहयोग के तरीक़े (१) सीमेन्ट सरिया, रोड़ी, बदरपुर, रेत (२) नक़द रक़म (३) कारीगरों और मज़दूरों की मज़दूरी की अदायगी (४) खिड़की, दरवाज़ा, पेन्ट, रंग व रोगन का सामान या क़ीमत देकर सहयोग करें और माल व औलाद और नेक कार्यों में बर्कत पाएँ।

Paytm UPI

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. **629201058685** (ICIC Bank)
Chandni Chowk, Delhi-110006
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)
पताः-4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006
Ph. 23273407, Fax : 23246613

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द

Total Pages 28

28